सत्यमेव जयते

संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/A11-250/2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति–श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून : दिनांक : 30 अगस्त, 2023

महोदय,

कृपया कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल द्वारा उत्तराखण्ड सम्बद्धता पोर्टल के पंजीकरण क्रमांक–230603123137 दिनांक 11.07.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें **इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटालिटी मैनेजमेन्ट एण्ड साइंसेज, आई0एच0एम0एस0 परिसर, बलभद्रपुर, बी0ई0एल0 रोड, कोटद्वार** को **बी0एच0एम0, बी0सी0ए0, बी0एससी0(आई0टी0) एवं बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम** में **शैक्षिक सत्र 2023–24** हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव निरीक्षण मण्डल की आख्या व कुलपति की संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम–2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीट एवं अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	नवीन अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटालिटी मैनेजमेन्ट एण्ड साइंसेज, आई0एच0एम0एस0 परिसर, बलभद्रपुर, बी0ई0एल0 रोड, कोटद्वार।	बी0एच0एम0 बी0सी0ए0 बी0एससी0(आई.टी.) बी0बी0ए0	90 60 60 60	शैक्षिक सत्र 2023–24

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह के अवधि के भीतर उपलब्ध करायें।
- संस्थान में व्याख्यान कक्ष एवं बहुउद्देशीय कक्ष मानकानुसार पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा, यदि किसी भी मानक के अपूर्ण होने के कारण छात्रों के हित प्रभावित होते हैं तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 30/08/2023 01:30 pm

I/779/2023

- विश्वविद्यालय संस्थान से Trust Act/ Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation, Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य/अभिलेख 02 माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध करायेगा साथ ही अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्तावों में भी तथ्यों का उल्लेख किया जाए।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

Signed by Ravinath Raman
Date: 29-08-2023 15:40:39

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या : 779 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A11-250/2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य–सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 30/08/2023 01:30 pm